

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर सूचना

क्र०स०	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन,कार्यों का विवरण	इस संगठन एवं विभाग का कार्य ग्रामीण अंचलो के विकास कार्यों को सम्पन्न करना है।
2	अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकार तथा कर्तव्य	अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार के अधीन रहते हुए शासकीय कार्यों को सम्पादित करने का अधिकार प्राप्त है।
3	निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण और जवाबदेही के श्रोत भी सम्मिलित है।	संस्था विकास विभाग का कार्यालय खैराबाद में स्थित है सहायक विकास अधिकारी/अवर अभियंता/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/कार्यालय सहायक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर नियंत्रण किया जाता है। समय-समय पर इन्ही अधिकारियों/कर्मचारियों से शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को सम्पन्न कराया जाता है योजनाओं का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण यह संस्था तथा जनपद मुख्यालय के विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता है।संस्था का मुख्यालय जनपद सीतापुर के विकास भवन में जिला विकास अधिकारी कार्यालय है।
4	अपने कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाया जाने वाला मापदण्ड	इस संस्था में खण्ड विकास अधिकारी पद सुजित है जिसके नियंत्रण में सहायक विकास अधिकारी/अवर अभियंता/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी /कार्यालय सहायक/पत्रवाहक /चौकीदार रहकर विकास कार्य सुनिश्चित कराये जाते है।
5	अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कर्मचारी द्वारा प्रयुक्त अपने नियन्त्रणाधीन नियमों,विनियमों,निर्देशों,निर्देशिकाओं तथा अभिलेख	संस्था द्वारा खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/अवर अभियंता/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/लिपिक वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/अन्य विभाग के कर्मचारी जो इस कार्यालय के माध्यम से कार्य करते है।उनके अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है तथा शासनादेश एवं नियमावली सुरक्षित रखी जाती है।
6	अपने द्वारा धारित या अपने अधीन अभिलेखों की कोटियों का विज्ञापन	संस्था द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के समस्त अभिलेख रखे जाते है जिनका समय समय पर अवलोकन कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
7	कोई प्रबन्ध जोकि परामर्श के लिए अस्तित्व में है,या जिसके द्वारा प्रत्यावेदन किया जाता है वे लोग जोकि इसके नीति निर्धारण या प्रवर्तन में भाग लेने का विवरण	इस संस्था द्वारा विकास खण्ड स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर बैठके करवाकर जनप्रतिनिधियों की राय से कार्ययोजना बनाकर विकास कार्य कराये जाते है।
8	बोर्डों,परिषदों,समितियों और अन्य निकाय जोकि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से इसके भागरूप में गठित हैं या इसके सलाह के लिए का विवरण और अन्य बोर्डों,परिषदों,समितियों और अन्य निकाय जो लोगों के लिए खोले गये है या बैठको की संक्षिप्त रिपोर्ट जो लोगो की पहुंच के अधीन होने का विवरण	संस्था द्वारा विकास खण्ड स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर से क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत की बैठके कर जनप्रतिनिधियों से राय/मदद ली जाती है।
9	अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निदेशिका	इस संस्था के समस्त अधिकारी/कर्मचारी राज्य सरकार के नियुण के अधीन रहकर कार्यवाही सुनिश्चित करते है व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।
10	अपने प्रत्येक अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक इसके अन्तर्गत	जी हां नियमावली के अनुसार संस्था में अधिकारियों/कर्मचारियों के आंकडें उपलब्ध रहते हैं तथा त्रैमासिक आंकडें जिला विकास अधिकारी

	प्रतिकार का ढंग जोकि विनियमों द्वारा उपबन्धित है, भी सम्मिलित है।	कार्यालय सीतापुर को प्रेषित कराये जाते है।
11	अपने प्रत्येक अभिकरणों का बजट जो उनसे सम्बन्धित है, जिसमें सभी योजनाओं प्रस्तावित व्यय और किये गये भुगतान का विवरण	इस संस्था को जनपद मुख्यालय के उच्चाधिकारियों के कार्यालयों से बजट प्राप्त होता है, जिसका समुचित उपयोग नियमानुसार किया जाता है आहरण एवं वितरण की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध रहती है मात्र वेतन की धनराशि को छोड़कर
12	उपदान कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग जिसके अन्तर्गत धन का विवरण तथा हिताधिकारियों का विवरण जो ऐसे कार्यक्रम से सम्बद्ध होंगे, का विवरण	संस्था में बायोगैस संयंत्र हेतु जिला विकास अधिकारी कार्यालय से अनुदान धनराशि प्राप्त होती है ग्रामीण अंचलो में इच्छुक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त छूटों अधिकार पत्रों अधिकृत्यों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण	आवश्यकतानुसार
14	अपने द्वारा प्रदान की गयी सूचना या प्रदान न की गयी सूचना, इलेक्ट्रानिक प्रारूप में विरुद्ध की गयी सूचना का विवरण	संस्था द्वारा विकास खण्ड की सूचना संकलित कर प्रतिमाह जिलास्तर पर प्रेषित की जाती है।
15	सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएँ, इसके अन्तर्गत पुस्तकालय के कार्य की अवधि या अध्ययन कक्ष, यदि लोगों के प्रयोग के लिए है का विवरण	संस्था में कोई व्यवस्था नहीं है।
16	लोक जनसूचना अधिकारी का नाम तथा पदनाम तथा अन्य का विवरण	श्री अशोक कुमार निगम खण्ड विकास अधिकारी खैराबाद, सहायक जनसूचना अधिकारी / श्री रामकृष्ण श्रीवास्तव सहायक विकास अधिकारी पंचायत, सहायक जनसूचना अधिकारी
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये और तदनुसार इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अपडेट करेगा।	शून्य

खण्ड विकास अधिकारी
खैराबाद, सीतापुर